



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 237/06/2015/चयन

इन्दौर, दिनांक 22 जुलाई, 2017

पदनाम – अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय

चयन – सूची

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2015 दिनांक 31.03.2015 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 01/02/चयन/2015 दिनांक 29.04.2015 के अंतर्गत आयुष विभाग के तहत अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय के निम्नांकित तालिका में दर्शित पद विज्ञापित किये गये थे । उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 10 जुलाई, 2017 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप आवेदकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार चयन सूची घोषित की जाती है :-

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	1	0	1	0	2
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	0	0	0	0	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	107	JYOTI THAKUR	F	ST	ST
2	16	NIDHI DWIVEDI	F	UNR	GEN

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	102	JAYPAL CHOUHAN	M	ST
2	47	POONAM TIWARI	F	GEN

टीप :-

- म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हों" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम में अनारक्षित पदों पर किया गया है ।

2. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित आवेदकों का अर्हकारी परीक्षा – आयुर्वेद में स्नातक उपाधि में अनारक्षित वर्ग हेतु अंतिम कट-ऑफ-मार्क्स 71.46 तथा अ.ज.जा. वर्ग का अंतिम कट-ऑफ-मार्क्स 62.47 है। अतएवं उक्त बिन्दु 1 के परिपालन में आरक्षित वर्ग का आवेदक अनारक्षित वर्ग की सीट तभी प्राप्त कर सकेगा जब उसने किसी भी स्तर पर रियायत प्राप्त नहीं की हो। चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उक्त कट-ऑफ-मार्क्स से कम अंक होने के कारण उनका चयन आरक्षित वर्ग में ही हुआ है।
3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था (जिसका प्रकाशन विज्ञापन में अंकित टीप (2) में उल्लेखित "समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।") के अनुसार चयन परिणाम तैयार किया गया है।
4. साक्षात्कार में उपस्थित आवेदकों की मेरिट सूची निम्नानुसार आधार क्रम से तैयार की गई है –
 1. साक्षात्कार में समान अंक होने की स्थिति में स्नातकोत्तर उपाधि धारक आवेदक को चयन में प्राथमिकता (वरीयता) प्रावधानित की गई है।
 2. स्नातकोत्तर उपाधि न होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा (अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता – आयुर्वेद में स्नातक उपाधि में अधिक अंक प्राप्त किये गये आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी गई है।
 3. साक्षात्कार अंक एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक एवं अर्हकारी परीक्षा के अंक भी समान होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
5. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

✓
✍

8/2/17

(डॉ. पवन कुमार शर्मा)

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर